

भाग - 5

(इस वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के निचे का अधिकारी ना हो द्वारा भरा जाना है।)

18. राज्य सरकार की सिफारिश-

(उपयुक्त भाग ख या भाग ग या भाग घ में किसी अधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाय)

तिथि

स्थान.....

हस्ताक्षर.....

नाम और पदनाम

सरकारी मोहर.....